

अ. - 31 (6)

734

राजस्थान सरकार
इन्दिरा गांधी नहर मण्डल

क्रमांक : प.11(8)इगांनम/2012-1


जयपुर, दिनांक : 10 FEB 2020

कार्यालयादेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति की अनुशंषा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर वरिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जाने के एतद्द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं :-

क.सं.	नाम कर्मचारी	जन्म तिथि	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा	06.12.1975	सामान्य	01.04.2019
2.	श्री नरेन्द्र सिंह नाथावत	19.11.1978	सामान्य	01.07.2019
3.	श्री आशीष कुलश्रेष्ठ	12.03.1980	सामान्य	31.07.2019
4.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	11.02.1980	सामान्य	01.01.2020
5.	श्री मुकेश महावर	06.02.1982	अनुसूचित जाति	01.04.2019

उक्त कर्मचारी तुरन्त प्रभाव से अपने पदोन्नति पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करें। पदोन्नत पद पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किये पर इसे कार्मिक की ओर से पदोन्नति का परित्याग (फोरगो) माना जावेगा।



(देशराज मीना)


सचिव,

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
2. अति० निजी सचिव, सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. लेखा शाखा, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. निजी पंजिका सम्बन्धित कर्मचारी।


10 FEB 2020


सचिव,

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल,
जयपुर

Mahendra ji
6/2/20